

196323/14 ✓

No. 11(17)/2014-RTI
Ministry of Finance
Department of Expenditure
RTI Cell

North Block, New Delhi
Dated 16.10.2014

Office Memorandum

Subject: Forwarding of applications under RTI Act, 2005, received through the Office of Hon'ble Finance Minister - regarding.

Please find enclosed the following RTI application in original received in the RTI Cell of this Department from the Office of Hon'ble Finance Minister on 16.10.2014 for onward transmission to respective Department of this Ministry. As the subject matter of the RTI application pertains to the Department of Revenue, the same is forwarded for necessary action. As nodal officer for RTI matters of the Department of Revenue, it is requested to suitably acknowledge the receipt as per provisions of RTI Act, 2005.

S. No.	Name and Address	Date of RTI Application	Dy. No. of FMO
1.	Sh. Udaylan Soni, Add- President, Rajasthan, Kisan Samiti, Tehil Roshami, Distt Chittorgarh, Rajasthan.	08.10.2014	192892/FM/IMP/2014 dated 14.10.2014.

Shayma
17/10/14
SRTI

W. NC-11
b.s.
22/10/14

TIME BOUND
Right to Information Act 2005
Department of Revenue
RTI No. 196322/2014 RTI Cell
Date of Receipt: 22/10/2014

Shobabasil

(Shoba Basil)
Section Officer (RTI Cell)
Tel. No. 2309 5654

To

Sh. V. Sreekumar, US (RTI), & CPIO, Ministry of Finance, Department of Revenue,
North Block, New Delhi - 110001

:: सूचना के अधिकार के तहत आवेदन पत्र का प्रारूप ::

3

प्रति :

कार्यालय का भार साधक / अधिकारी श्री काम विध मंत्री जी

विध मंत्रालय नई दिल्ली
कार्यालय



(1) आवेदन का पूरा नाम उदयलाल शर्मा सुरेश शर्मा ग्राम विधान सभा समिति

(2) आवेद का पूरा पता मु.प. 202 नं. राशमी बाग जगदल जिला जित उदु

(3) सूचना की विशेषितियों अफीम के 1998 से 2002 तक का पट्टा दिया जाने का विस्तार

1. उस विभाग का नाम विध मंत्री जी विध मंत्रालय नई दिल्ली

2. उस कार्यालय का सम्बन्धित हां

जिससे सूचना सम्बन्धित है। हां

3. सूचना की प्रकृति : अफीम के कड़े पट्टे 1998 से 2002 तक का विस्तार हुआ उनके सही रूप से विस्तार हुआ उनका रिपोर्ट भीलवासे के मन्त्र में

(4) क्या फीस के संदाय संलग्न कर दिया है। हां

फाइल नं. 29F 007611

मैं यह कथन करता हूँ कि चाही गयी सूचना अधिनियम के अन्तर्गत निर्दिष्ट नियमानुसार क अन्तर्गत नहीं आता है।

16/10

US(RTI)
D.10 Exp.

Dy. No. 192892 FM/IMP/2014
Dated. 14/10/2014

स्थान :- रुद्र

उदयलाल शर्मा
आवेदक के पूरे हस्ताक्षर

11(17)
D/o kenam

दिनांक 10-10-2014

नोट :- अफीम के कड़े पट्टे 1998 से 2002 तक का विस्तार किया गया होने के अफीम विध मंत्रालय द्वारा सूचना नही भिजवाई जाने 10 दिवस में मन्त्र में उदयलाल शर्मा